

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935

No. 2181]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013

क्रा.आ. 2800 (अ).— यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान जोनल-जे के लिए जोनल प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 की का.आ.सं. 3021 (अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिस में उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत :प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन-जे के लिए जोनल प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021/जोन-जे के लिए जोनल प्लान में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन:

निम्नलिखित 17.32 हेक्टयेर क्षेत्र का भू-उपयोग जो मैदानगढी गांव दिल्ली के राजस्व एस्टेट में स्थित है और जोन जे में पहृता है, निम्नलिखित विवरणानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस), बीएसएफ/गृह मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना हेतु परिवर्तित किया जाता है।

स्थान	एमपीडी-2021 वे अनुसार मौजूदा भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमाएं
मैदानगढी गांव, दिल्ली के राजस्व एस्टेट (जोन जे)	" आवासीय "	"सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (पीएस1)" क. मेडिकल कॉलेज- 10.12 हेक्ट. ख. 500 बिस्तरों वाला अस्पताल- 4.5 हेक्ट. ग. 300 बिस्तरों वाला अस्पताल-2.5 हेक्ट. घ. नार्सिंग एवं पैरा-मेडिकल इंस्टीट्यूट: 0.2 हेक्ट.	उत्तर एवं पूर्व: असोला वन्य जीव अभ्यारण की चार दीवारी पश्चिम : दि.वि.प्रा. की खाली /खुली भूमि दक्षिण : सतबडी गांव की राजस्व संपदा सीमा।

[सं.के-13011/5/2013--डीडी-।] सुनील कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2013

S.O.2800 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Plan for Zone-J regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3021 (E) dated 28th December, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by subsection (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021/Zonal Plan for Zone-J.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Plan for Zone-J with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area admeasuring 17.32 Ha. situated in Revenue Estate of Village Maidangarhi, Delhi falling in Zone J is changed, for setting up of Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS), BSF/Ministry of Home Affairs, Government of India, as per description listed below:

Location	Existing Land Use as per MPD 2021	Proposed Land Use	Boundary of the Site/Area
Revenue Estate of Village Maidangarhi, Delhi (Zone J)	"Residential"	"Public & Semi Public (PS1)" a. Medical College – 10.12 Ha. b. 500 Bedded Hospital – 4.5 Ha. c. 300 Bedded Super Specialty Hospital – 2.5 Ha. d. Nursing & Paramedic Institute – 0.2 Ha.	North & East: Boundary of Asola Wildlife Sanctuary West: Vacant/Open land belonging to DDA South: Revenue Estate boundary of Village Satbari.

[No. K-13011/5/2013-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.